(12)

प्र.क. पुनर्विलोकन / 2017–18
प्रस्तुति दिनांक 21 / 11 / 2017
प्र.क. 3613 पी.बी.आर. / 14
आदेश दिनांक 25 / 10 / 2017

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर कैम्प इन्दौर

PBR/पुनर्विलोकन/इंदौर/भू.रा/2017/4617

राधेश्याम पिता श्री पर्वतसिंह
निवासी – ग्राम लसूड़िया मोरी
तह. व जिला इन्दौर म.प्र. – प्रार्थी / पुनर्विलोकनकर्ता

विरूद्ध

1. **श्रीमती सुदर्शनारानी पति श्री राजेन्द्र कुमार तंवर**
   श्रीमती सुदेशरानी पति श्री विजय कुमार (मृतक)
   वारिस
2. **अजय पिता श्री विजय कुमार तंवर**
3. **सचिन पिता श्री विजय कुमार तंवर**
   सभी निवासी–184, साकेत नगर, इन्दौर म.प्र. ––प्रतिप्रार्थीगण
   ––आपैचारिक प्रतिप्रार्थी
4. **जगदीश पिता श्री पर्वतसिंह**
   निवासी–ग्राम लसूड़िया मोरी
   तह. व जिला इन्दौर म.प्र.
   श्रीमती रेशमबाई पति श्री पर्वतसिंह मृत

सम्माननीय महोदय,

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

1. यह कि, माननीय न्यायालय के द्वारा प्र.क. 3613 पी.बी.आर. / 14 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25.10.2017 को पुनर्विलोकन में लेने हेतु प्रार्थी द्वारा निम्न आधारों पर माननीय न्यायालय में मय धारा 52 म.प्र. भू.रा.सं. के आवेदन पत्र एवं शपथ–पत्र के सहित प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/पुनर्विलोकन/इंदौर/भू.रा./2017/4617

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 25–10–17 की सत्यप्रतिलिप का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु प्रकरण इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 3613 –पीबीआर/14 में पारित आदेश दिनांक 25–10–17 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । संहिता की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है:– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन पत्र में ऐसी कोई बात अथवा साक्ष्य नहीं दर्शाया गया है, जो आदेश पारित करते समय उसकी जानकारी में नहीं थी, अथवा प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी । अभिलेख से परिलक्षित कोई त्रुटि भी नहीं दर्शाई गई है, केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि दर्शाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं है । 2/ उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	